अप्रार्थीगण/अपीलान्ट्स के जवाब एवं अभिवचनों तथा उनकी ओर से उद्वत किये गये न्यायिक दृष्टान्तों को अध्ययन कर विस्तृत विवेचना किया जाना एवं पटवारी हल्का के बयानों में उनके विद्वान अधिवक्ता को प्रतिपरीक्षण (जिहर) किये जाने का अवसर प्रदान करना नहीं पाया जाता है। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा उद्वत न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी., 1996 पृष्ट 480 में प्रतिपादित सिद्वान्त में पटवारी हल्का के बयान भी सरसरी तौर पर जल्दबाजी में लेने तथा पटवारी के बयानों में जिहर तक का मौका भी नहीं देने तथा पूर्व अतिक्रमण का रिकॉर्ड भी पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं होने पर निगरानी याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर आक्षेपित आदेशों का निरस्त किये गये है। न्यायिक दृष्टान्त सितम्बर 2001 आर.आर.डी पृष्ट 401 में भी अभिनिर्धारित किया गया है कि " सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने के लिए तहसीलदार एवं अधीस्थ न्यायालय के लिए आवश्यक था कि पूर्व में जो आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल किया गया एवं जो बेदखली की कार्यवाही चली, उसके आदेश की प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि रिकॉर्ड पर प्रस्तुत करने के पश्चात् ही बेदखली के आदेश पारित कर सकते थे, बिना सक्ष मसाक्ष्य के ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता। " हस्तगत प्रकरण में भी अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली एवं आदेश में अप्रार्थीगण/अपीलान्ट के विरूद्व पूर्व में बेदखली की की गयी कार्यवाही एवं आदेश प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि रिकॉर्ड पर नहीं होना पायी गयी। इस प्रकार उक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण में चस्पा होते हैं तथा अन्य उद्वत कानूनी नजीरों से भी हमें बल मिलता है। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य मुताबिक नकल जमाबंदी सम्वत् 2045–2048, 2049–2052 एवं 2053–2056 अपील मीमों में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 430/9.25 हैक्टर की भूमि कृषि योग्य राजकीय बंजड भूमि होना दर्ज राजस्व रिकॉर्ड होना प्रमाणित है। छाया प्रति नकल भू–आवंटन सलाहकार समिति के आदेश दिनांक 06/6/1991 के द्वारा अस्थाई आवंटन 3 वर्ष के लिए अस्थाई आवंटन गैर मुमकिन नदीं आराजी खसरा नम्बर 430 वाके मौजा करवास में अपीलान्ट्स एवं उनके पूर्वजों श्री लीलाराम पुत्र घीसाराम मीना का 1.00 हैक्टर, जयसिंह पुत्र रामदेव मीणा को 0.75 एयर एवं श्री रामदेव पुत्र समदा मीणा को 1.00 हेक्टर भूमि (Tank lead allotment Ruls) के अन्तर्गत आवंटन करने तथा तहसीलदार कोटपूतली को आवंटित भूमि का कब्जा देने हेतु तथा जमा कायमी करवाने के लिए आदेशित किया जाना प्रमाणित है। भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अस्थाई आवंटन की अवधि समाप्त होने पर अलाटीज को उक्त भूमि का पुनः अलाटमैन्ट कर नवीनीकरण करने अथवा अपरहार्य कारणों से भू–आवंटन सलाहकार समिति की बैठकें आयोजित नहीं होने एवं पुनः आवंटन/नवीनीकरण नहीं होने की स्थिति में अलाटीज का ही निरन्तर अस्थाई आवंटन होना माना जाने का विधि प्रावधान है। ऐसी परिस्थिति में अस्थाई आवंटियों के हक में हुए भूमि के अस्थाई आवंटन आदेशों को मन्सूख करवाये बिना अलाटीज को आवंटित की गयी भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमी मानकर बेदखल किये जाने की कार्यवाही अपरिपक्व एवं गैर कानूनी मानी जावेगी। इसलिए आक्षेपित आदेश यथावत बहाल रखे जाने योग्य नहीं है। जहां तक अपील मीमों में वर्णित आराजीयात् की किस्म भूमि गै.मु. तलाई दर्ज राजस्व रिकॉर्ड होने के कारण अब्दुल रहमान प्रकरण से बाधित होने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार कोटपूतली अपीलान्ट्स को सीधे ही अतिक्रमी मानकर उनके विरूद्व बेदखली की कार्यवाही करने के बजाये अस्थाई अलाटमैन्ट आदेश को निरस्त करवाकर विधि प्रावधानों के अनुसरण में नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र हैं।

11. उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08/3/2018 अपास्त किया जाकर अपीलान्ट्स को तीन–तीन माह की सिविल कारावास से दण्डित करने की सजा निरस्त की जाती है तथा तहसीलदार कोटपूतली को निर्देश दिये जाते है कि विवादित आराजीयात् के राजस्व अभिलेख का भलिभांति निरीक्षण एवं परीक्षण करें ओर यदि उक्त भूमि अब्दुल रहमान प्रकरण से बाधित होना पायी जावे तो अपीलान्ट्स के हक में भू–आवंटन सलाहकार समिति के अस्थाई भू–आवंटन आदेशों को मन्सूख करवाकर नियमानुसार बेदखली की विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित् करें। तहसीलदार कोटपूतली को पालनार्थ तहरीर के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 14-3-19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुने सुनाया